न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– शिवपाल जाट , आर.ए.एस.

प्रार्थी : बनाम अप्रार्थीगण :

दुर्गाराम पुत्र रामकरण
जाति जाट निवासी चिताई

राजस्थान राज्य तहसीलदार
परबतसर

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट
उपस्थित :– श्री गोपाल पूनिया, अधिवक्ता प्रार्थी
:– श्री जगराम मीणा, राजपैरोकार

मुकदमा नम्बर :– 02/2021

निर्णय दिनांक :– 06.09.2021

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल पूनिया ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम चिताई के खसरा नम्बर 413 रकबा 3.2000 हैक्टर व खसरा नम्बर 430 रकबा 1.7400 हैक्टर कुल रकबा 4.9400 हैक्टर स्थित हैं उक्त कृषि भूमि पूर्व में खातेदार बिरदा पुत्र दल्ला के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी जिसको प्रार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के 24–6–1976 को क्रय की तथा विधिवत रूप से इसकी खातेदारी केता प्रार्थी दुर्गाराम पुत्र रामकरण जाट के नाम इन्द्राज हुई उक्त भूमि के सम्बन्ध में नामान्तकरण के आधार पर जमाबन्दी में इन्द्राज हुआ तब भी प्रार्थी का नाम दुर्गाराम पुत्र रामकरण दर्ज हुआ लेकिन सेटलमेन्ट के दौरान जो चौसाले बनाये गये उसमे लिपिकीय भूल से प्रार्थी का नाम तो सही दर्ज हुआ लेकिन उसकी वल्दीयत में रामकरण के स्थान पर गलती से लालाराज दर्ज हो गया जो लिपिकीय भूल हैं, वर्तमान में सेटलमेन्ट अभियान प्रारम्भ होकर समाप्त हो चुका है राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम दुर्गाराम पुत्र रामकरण के स्थान पर दुर्गाराम पुत्र लालाराम होने से प्रार्थी को अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने मे भारी समस्या हो रही है प्रार्थी प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त आराजियात में प्रार्थी का नाम दुर्गाराम पुत्र लालाराम के स्थान पर दुर्गाराम पुत्र रामकरण कर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से राजपैरोकार ने जवाब प्रस्तुत किया तथा सही नाम

उपखण्ड अधिकारी
... (नागौर)

जमाबन्दी सम्वत् 2058–61 में दुर्गाराम पुत्र रामकरण है व सेटलमेन्ट के बाद जमाबन्दी 2065–2065 में दुर्गाराम पुत्र लालाराम हो गया का अपने जवाब में उल्लेख किया।

3. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षकारो की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज एवं विधि के सुसंगत प्रावधानो का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया गया।

4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 के अनुसार ग्राम चिताई के खसरा नम्बर 413 रकबा 3.2000 हैक्टर, खसरा नम्बर 430 रकबा 1.7400 हैक्टर कुल रकबा 4.9400 हैक्टर में दुर्गाराम पुत्र लालाराम दर्ज है। प्रस्तुत जमाबन्दियो के अनुसार प्रार्थी का नाम दुर्गाराम पुत्र लालाराम दर्ज हैं जिससे प्रार्थी का कथन है कि राजस्व कर्मचारियो की भूल से प्रार्थी का नाम सम्वत् 2065–65 में दुर्गाराम पुत्र रामकरण के स्थान पर दुर्गाराम पुत्र लालाराम दर्ज हो गया हैं तथा सम्वत् 2058–61 में प्रार्थी का नाम दुर्गाराम पुत्र रामकरण दर्ज हैं तथा उसी अनुसार प्रार्थी का नाम दुर्गाराम पुत्र रामकरण दर्ज होना था लेकिन राजस्व कर्मचारियो की भूल से दुर्गाराम पुत्र लालाराम दर्ज हो गया। प्रार्थी ने राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेनकार्ड, सम्वत् 2058–61 की जमाबन्दी व 2065–65 की जमाबन्दी आदि अन्य सभी दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम दुर्गाराम पुत्र रामकरण है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सिद्व होता है जिससे स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार परबतसर को आदेश दिया जाता है कि ग्राम चिताई के खसरा नम्बर 413 रकबा 3.2000 हैक्टर, खसरा नम्बर 430 रकबा 1.7400 हैक्टर कुल रकबा 4.9400 हैक्टर में दर्ज दुर्गाराम पुत्र लालाराम के स्थान पर दुर्गाराम पुत्र रामकरण दर्ज कर रेकर्ड दुरूस्त किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 06.09.202को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/9/24

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)